

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोजेन्ट

श्री नारायणलाल माली
उपाध्यक्ष नगरपालिका जावाल
तहसील व जिला सिरौही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 69 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नक्का व तारीख को इस हुक्म को तामिल में जारी हो
10.11.2022	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोजेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 25.08.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिला कलक्टर कार्यालय सिरौही के पत्रांक/सामान्य/21/1375 दिनांक 25.09.2021 एवं पत्रांक/सामान्य/22/326 दिनांक 28.02.2022, पत्रांक/सामान्य/22/624 दिनांक 05.04.2022 एवं वरिष्ठ संयुक्त परामर्शी जयपुर के पत्रांक/पं.8(क)(या)डीएलबी/22/543 दिनांक 24.03.2022 एवं जिला कलक्टर कार्यालय सिरौही के पत्रांक/सामान्य/22/609 दिनांक 01.04.2022 एवं पत्रांक/सामान्य/22/917 दिनांक 19.05.2022 से सम्बन्धित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को दिनांक 25.08.2022, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि जिला कलक्टर कार्यालय सिरौही के पत्रांक/सामान्य/21/1375 दिनांक 25.09.2021 एवं पत्रांक/सामान्य/22/326 दिनांक 28.02.2022 पत्रांक/सामान्य/22/624 दिनांक 05.04.2022 एवं वरिष्ठ संयुक्त परामर्शी जयपुर के पत्रांक/पं.8(क)(या)डीएलबी/22/543 दिनांक 24.03.2022 एवं जिला कलक्टर कार्यालय सिरौही के पत्रांक/सामान्य/22/609 दिनांक 01.04.2022 एवं पत्रांक/सामान्य/22/917 दिनांक 19.05.2022 से सम्बन्धित दस्तावेजी साक्ष्यों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांत की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे। यदि सूचना देना नियमों में संभव नहीं हो तो स्पेसिफिक आदेश पारित कर अपीलांत को सूचित करें। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(डॉ. भेंबर लाल)
जिला कलक्टर, सिरौही

